(110)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 213–एक/1997 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–10–1997 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 318 93–94/अपील.

.....

रमेशचन्द्र गर्ग पुत्र परसराम
निवासी गुना जिला गुना

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर जिला गुना

..... प्रत्यर्थी

.....

श्री ओ0पी0शर्मा, अभिभाषक–अपीलार्थी

श्रीमती नीना पाण्डेय, अभिभाषक–प्रत्यर्थी

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/12/16 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–10–1997 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने ग्राम बरछुआ की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 2/1 मि.रकबा 12.839 हेक्टेयर में से रकबा 0.209 है पर अवैधानिक रूप से उत्खनन करके पत्थर तुड़वाकर गिट्टी बनाने के लिये केशर लगाकर 270 घनफीट गिट्टी बनवायी । खनिज निरीक्षक के द्वारा स्थल निरीक्षण के बाद अपीलार्थी के विरूद्ध संहिता की धारा 247(7) के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये प्रतिवेदन अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अपर

कलेक्टर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 28–6–1994 को आदेश पारित कर 13,500/– अर्थदण्ड आरोपित किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10–10–1997 को आदेश पारित कर प्रथम अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय में तामील का विधिवत् निर्वाह नहीं कराया गया है, क्योंकि अपीलार्थी ने ना तो तामील लेने से इंकार किया और ना ही तामीली अपीलार्थी के मकान पर चस्पा की गई है। अपीलार्थी पर कराई गई तामीली फर्जी है और विधिवत् तामीली के अभाव में सभी कार्यवाही व्यर्थ एवं निष्प्रभावी है । यह भी कहा गया कि शासन पक्ष की ओर से ना तो अपीलार्थी द्वारा अवैध उत्खनन सिद्ध किया गया है और ना ही अवैध उत्खनन की मात्रा सिद्ध की गई है तथा उसका बाजार मूल्य भी सिद्ध नहीं किया गया है, क्योंकि यह सभी तथ्य सिद्ध करने का दायित्व शासन पक्ष का था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी को पक्ष समर्थन व साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है, जो न्याय के सर्वथा विपरीत कार्यवाही है । अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का आधार अपीलार्थी द्वारा इस अपील में नहीं बताये जाने से अपील निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के प्रकरण से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा विधिवत जांच कराई जाकर अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया है, अतः अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक पर अधिरोपित अर्थदण्ड पूर्णतः वैधानिक एवं उचित है । अपर आयुक्त द्वारा भी उपरोक्त निष्कर्ष के साथ अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि की गई है, जो कि पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही है । इस प्रकार

दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–10–1997 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर